सं.सं0–7/जिला चिकित्सा पदा0–20–01/2012 4370

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 18-9-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 001–निदेशन और प्रशासन–0002–जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड– N2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 2,96,97,050/– (दो करोड़ छियान्वे लाख संतान्वे हजार पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0–22(7)ब दिनांक–3.5.12, 25(7)ब दिनांक–22.05.12 एवं 32(7)ब दिनांक–28.06.12, 34(7)ब दिनांक 27.7.12 के क्रम तथा मांग पत्रो के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 2,96,97,050/– (दो करोड़ छियान्वे लाख संतान्वे हजार पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 001–निदेशन और प्रशासन–0002–जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड– N2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. वाहन का ईधन एवं रख–रखाव इकाई में आंवटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय –समय पर निर्गत परिपत्रो में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

17/9/2012

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

18/9/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 43(7)9 पटना, दिनांक : 18 - 9 -12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अप–लोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

18/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

जिला यथा पटना/किशनगंज/पूर्णियाँ/मुज0/गया/औरंगाबाद/कटिहार/खगड़िया / सारण(छपरा)/सीवान/लखीसराय/कैमूर (भभुआ)/मुगेर/जहानाबाद के सिविल सर्जन कार्यालय एवं संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियत्रण संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर बोट सारंग चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन अधीक्षण उपयोजना/ सिविल सर्जन, भागलपुर के अधीन दंत इकाई/ शैक्षणिक प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी का वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ता मद एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन :–

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19
1	पटना	120000	1200000	1200000	10000	6000	720000	3256000	60000	20000	40000	100000	30000	300000	0	9000	37000	30000	3882000	6477/1.8.12
2	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	1776/17.8.12
3	पूर्णियाँ	50000	500000	500000	0	2500	300000	1352500	0	0	50000	50000	38000	115000	0	7000	0	30000	1642500	3021/6.8.12
4	मुजफ्फरपुर	130000	1300000	1300000	0	6500	780000	3516500	0	0	0	0	0	100000	0	5000	0	0	3621500	2135/17.8.12
5	गया	100000	1000000	1000000	0	5000	600000	2705000	0	0	0	35000	0	0	0	12000	0	0	2752000	2464/13.8.12
6	औरंगाबाद	130000	1300000	1300000	0	6500	780000	3516500	0	0	0	0	0	0	50000	5000	0	0	3571500	2017/12.7.12
7	कटिहार	80000	640000	640000	0	4000	480000	1844000	0	0	20000	0	0	30000	0	3000	0	0	1897000	2169/18.8.12
8	खगड़िया	60000	480000	480000	0	3000	240000	1263000	0	20000	0	30000	13000	0	0	5000	0	30000	1361000	1929/26.7.12
9	सारण(छपरा)	60000	600000	600000	0	3000	360000	1623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1623000	2027/8.8.12
10	सीवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	100000	0	0	0	0	0	0	150000	8/7.7.12
11	लखीसराय	40000	400000	400000	0	2000	240000	1082000	0	0	30000	0	10000	0	0	5000	0	0	1127000	850/30.6.12
12	कैमूर (भभुआ)	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	1498/11.8.12
13	मुंगेर	35000	350000	350000	0	1750	210000	946750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946750	1157/21.8.12
14	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	50000	0	0	0	80000	1188/30.6.12
	कुल	805000	7770000	7770000	10000	40250	4710000	21105250	210000	70000	220000	315000	91000	545000	100000	51000	37000	90000	22834250	

(दो करोड़ अट्ठाईस लाख चौंतीस हजार दो सौ पच्चास) रू0 मात्र

19/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

43(7)A
18-9-12

विवरणी–II

क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 से0, पटना/तिरहुत/भागलपुर प्रमण्डलों में कार्यरत संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ता मद में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना प्रमण्डल, पटना	8000	80000	80000	5000	800	48000	221800	221800	804/24.8.12
2	तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	60000	600000	600000	0	6000	360000	1626000	1626000	468/10.7.12
3	भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	80000	800000	800000	0	8000	480000	2168000	2168000	360/23.8.12
	कुल	**148000**	**1480000**	**1480000**	**5000**	**14800**	**888000**	**4015800**	**4015800**	

(चालीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ) रू. मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–III

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के अधीन कार्यरत 101 रोगों से बचाव एवं नियंत्रण योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ता मद तथा अन्य इकाईयों में अतिरिक्त आवंटन :–(662/13.7.12)

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं0)	आवंटित राशि
1	2	3
1	वेतन (01–01)	100000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	900000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	700000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	10000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	50000
6	अन्य भत्ता (01–07)	1000000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**2760000**
7	कार्यालय व्यय (13–01)	15000
8	दूरभाष (13–03)	5000
9	विद्युत प्रभार (13–04)	30000
10	वर्दी/ पोषाक (13–06)	7000
11	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	30000
	कुल योगः–	**2847000**

(अट्ठाईस लाख सैतालीस हजार) रूपये मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

43(7)9
18-9-12

विवरणी वार व्यय की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं0)	विवरणी –I	विवरणी –II	विवरणी –III	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	वेतन (01–01)	805000	148000	100000	1053000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	7770000	1480000	900000	10150000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	7770000	1480000	700000	9950000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	10000	5000	10000	25000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	40250	14800	50000	105050
6	अन्य भत्ता (01–07)	4710000	888000	1000000	6598000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**21105250**	**4015800**	**2760000**	**27881050**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	210000	0	0	210000
8	यात्रा व्यय (11–01)	70000	0	0	70000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	220000	0	15000	235000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	315000	0	0	315000
11	दूरभाष (13–03)	91000	0	5000	96000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	545000	0	30000	575000
13	विधि प्रभार (13–05)	100000	0	0	100000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	51000	0	7000	58000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	37000	0	0	37000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	90000	0	30000	120000
17	दवा भंडार (21–02)	0	0	0	0
18	लधु कार्य (27–01)	0	0	0	0
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	0	0	0	0
20	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऍं (28–01)	0	0	0	0
21	अनुग्रह अनुदान (31–02)	0	0	0	0
22	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	0	0	0	0
	योग	**22834250**	**4015800**	**2847000**	**29697050**

(दो करोड़ छियान्वे लाख संतान्वे हजार पच्चास) रू0 मात्र

17/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	114543000	113090000	1053000	114143000	400000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	76743000	57675900	10150000	67825900	8917100
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	24477000	10082200	9950000	20032200	4444800
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1026000	19000	25000	44000	982000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2052000	1165400	105050	1270450	781550
6	अन्य भत्ता (01–07)	8159000	569450	6598000	7167450	991550
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**227000000**	**182601950**	**27881050**	**210483000**	**16517000**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	446180	210000	656180	343820
8	यात्रा व्यय (11–01)	1496000	951000	70000	1021000	475000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	2280000	1631000	235000	1866000	414000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	3050000	1914000	315000	2229000	821000
11	दूरभाष (13–03)	1000000	531000	96000	627000	373000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	6550000	3250000	575000	3825000	2725000
13	विधि प्रभार (13–05)	2000000	1150000	100000	1250000	750000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	250000	120000	58000	178000	72000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	1110000	0	37000	37000	1073000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	2280000	1340000	120000	1460000	820000
17	दवा भंडार (21–02)	2000000	990000	0	990000	1010000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000000	0	0	0	1000000
19	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऍं (28–01)	1000	0	0	0	1000
20	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योगः–	**251018000**	**194925130**	**29697050**	**224622180**	**26395820**

17/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

43(7)(a)
18-9-12